



Neutral Citation No-2026:AHC:4936

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5267 वर्ष 2025

शिव सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

बरेली के चकबंदी के उप निदेशक और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सौरभ कुमार तिवारी, योगेश कुमार शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"i) प्रतिपक्षी संख्या-3 यानी चकबंदी अधिकारी, बरेली को एक निर्धारित अवधि के भीतर कानून के अनुसार तर्कसंगत और बोलने का आदेश पारित करके और 26.11.2025/01.12.2025 को याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें और 26.11.2025/01.12.2025 को आपत्ति का निपटान नहीं होने तक चकबंदी की कार्यवाही ग्राम-फैज़ नगर है, तहसील-फरीदपुर, जिला-बरेली।

ii) प्रतिपक्षी संख्या-2, यानी चकबंदी के निपटान अधिकारी, बरेली को ग्राम-फैज़ नगर, तहसील-फरीदपुर, जिला-बरेली में चकबंदी की कार्यवाही के दौरान चकबंदी की कार्यवाही के दौरान चक्काओं के आवंटन में उच्च अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक आदेश या निर्देश जारी करना।



3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह प्रकट होता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता (आवेदक) ने चकबंदी के निपटान अधिकारी के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया है, जिसमें चकबंदी अभियान में कुछ विसंगति की ओर इशारा किया गया है, जिसके कारण चक धारक प्रभावित होते हैं।

4. मेरी सुविचारित राय में, चकबंदी/जोत का समेकन अधिनियम होल्डिंग मालिकों/चक धारकों की शिकायत का निवारण करने के लिए एक विस्तृत अधिनियम है। याचिकाकर्ता/पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिए संगत स्तर पर चकबंदी/जोत अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की संबंधित धाराओं के तहत एक उपयुक्त आवेदन/आपत्ति दर्ज करा सकता है। याचिकाकर्ता/पीड़ित व्यक्ति की शिकायत का निवारण करने के लिए केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 8, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)